भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1876

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस में महिलाकर्मी

†1876. श्री प्रभात झा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली सहति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मंजूरी दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या दिल्ली पुलिस में 33 प्रतिशत महिलाकर्मियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस में 76461 पुलिस कार्मिकों में से 7166 महिला पुलिस कार्मिक हैं, जो 9.37% है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों में कांस्टेबल से उप-निरीक्षक तक अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए क्षैतिज रुप से और प्रत्येक वर्ग (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अन्य) में 33% आरक्षण का अनुमोदन प्रदान किया है। महिलाओं को यह आरक्षण दिनांक 26 मार्च, 2015 को विद्यमान

..........2/-

ऐसी सभी रिक्तियों और उसके उपरांत होने वाली रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा। सभी राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33% करने के संबंध में परामर्शी पत्र जारी किए गए हैं।

(ड.) और (च): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले से ही भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय का कार्यान्वयन शुरु कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कर्मचारी चयन अयोग को सीधी भर्ती के लिए कांस्टेबल (एक्जी.) (3115 पुरुष और 1554 महिला) की रिक्तियों और महिला उप-निरीक्षक (एक्जी.) की 204 रिक्तियों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है।